

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 142/2018

दायरा दिनांक : 29.08.2018

उनवान

शंकर लाल आयु 27 साल पुत्र श्री कल्याण, जाति कालबेलिया, निवासी ग्राम सीसवाली, तहसील बारां, जिला बारां

.....अपीलांत

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीसवाली, जिला बारां

.....रेस्पोंडेंट

बहस हेतु उपस्थिति :- अभिभाषक अपीलांत – श्री सत्येन्द्र जमोदिया

अभिभाषक रेस्पोंडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 06.09.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 27.09.2017 प्रकरण संख्या 345/2016 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार सीसवाली के प्रकरण सं0 126/2016 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.04.2016 से अपीलांत को ग्राम सीसवाली, तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 5074 रकबा 0.48 हेक्टर, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 30 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 578/- रुपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरुद्ध अपीलांत की प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.09.2017 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांत के द्वारा अपील के साथ धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया । न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिले कन्डोन की जाती है ।

अपीलांत ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांत ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । आर. बी. जे. 2007 (14) पेज 644 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सजा माफ की है । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली में पटवार मण्डल सीसवाली की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.08.2018 की मूल प्रति सलंग्न है जिसके अनुसार ग्राम सीसवाली में शंकरलाल पुत्र कल्याण, जाति कालबेलिया, निवासी सीसवाली की तरफ किसी भी मद में आदिनांक बकाया नहीं है । प्रार्थी द्वारा ग्राम सीसवाली के खसरा नम्बर 5074 रकबा 0.48 हेक्टर भूमि पर किया गया अतिक्रमण छोड़ दिया है तथा धारा 91 के अन्तर्गत लगाया गया जुर्माना व नीलामी जमा करा दी है । वर्तमान में प्रार्थी शंकरलाल पुत्र कल्याण कालबेलिया का उक्त आराजी पर [अतिक्रमण/कब्जा](#) नहीं है, उक्त आराजी मौके पर खाली व पड़त है । अतः कब्जा छोड़ने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित प्रतीत होता है । आर. बी. जे. 2007 (14) पेज 644 यहां चरप्पा होती है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। यदि अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया है तो सिविल कारावास में छूट दी जाती है। लेकिन बेदखली और शास्ति की सजा यथावत रहेगी और यदि अपीलांट द्वारा मौके से कब्जा नहीं हटाया गया है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, उसके लिए कोई पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

आदेश आज दिनांक 06.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा